कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 146 /2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.04.2025 को **थाना जीयनपुर, रौनापार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या में संलिप्त 25-25 हजार रूपयें के 02 इनामिया अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से **अवैध असलहा, कारतूस व एक मोटरसाइकिल** बरामद किया गया।

थाना-जीयनपुर

हत्या में संलिप्त 25-25 हजार रुपये के 02 इनामिया अपराधी पुलिस मुठभेड में घायल/ गिरफ्तार,

अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी तमंचा .315 बोर, 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 मिस फायर कारतूस .315 बोर, 01 अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर, 01 गमछा व 950/- रुपया नगद बरामद ।

पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक **29.03.2025** को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व0 श्याम कुवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि **दिनांक 28/03/25** को वादिनी का लडका **अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष** शाम को गाँव के ही मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द के साथ दावत खाने जीयनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लडका अश्वनी, मैकु उर्फ रामचन्दर तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सडक के किनारे वादिनी के लडके का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद है, हमे शंका है कि हमारे गाँव के मैकु उर्फ रामचन्दर व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS** बनाम

1. मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव, निवासी ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

2. गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द्र सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। **विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार** पर मुकदमा उपरोक्त में **10 अन्य अभियुक्तों**

1. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चक अमरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
3. सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद, निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
4. सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र, निवासी मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
5. आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
6. अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
7. आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
8. विकास यादव पुत्र सुर्यप्रकाश यादव उर्फ शेरा, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
9. अनिल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
10. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया तथा मुकदमा उपरोक्त में **धारा 3(5)/61(2)BNS की बढ़ोतरी** की गयी।

➡मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों **1. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव** उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सवरूपुर थाना जीयनुर जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ **2. अमित यादव पुत्र श्यामकेवल यादव** ग्राम चक अमरौला बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को **पूर्व में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय** भेजा चुका है।

➡ शेष अभियुक्त अभी फरार चल रहे है तथा अभियुक्त **1. सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद निवासी ग्राम गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ, 2.सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ** भी फरार है, **जिसकी गिरफ्तारी हेतु पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था। विवेचना के क्रम में-**

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के दिशा-निर्देश में व क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोड़ी के नेतृत्व में दिनांक 19/20.04.2025 को **थाना जीयनपुर, रौनापार व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम** द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त 1. सर्फुद्दीन पुत्र मो0 रोजिद निवासी ग्राम गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ 2. सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ** को पुलिस मुठभेड़ के दौरान **सीएचसी लाटघाट पुलिया, जम्मनपुर मोड़ के पास समय 00.05 बजे पुलिस मुठभेड़** में गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों **अभियुक्त सर्फुद्दीनपुर उपरोक्त के दाहिने पैर व अभियुक्त सौरभ उपरोक्त के बायें पैर में गोली** लगी है, जिसे उपचार हेतु सीएचसी लाटघाट से सदर अपस्ताल आजमगढ़ रेफर किया गया।

➡ **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 नाजायज तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस फायर शुदा .315 बोर, 3 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 मिस जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर की व 01 गमछा** बरामद किया गया।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बता रहे है कि साहब रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हमलोग का दोस्त है। रामचन्द्र उर्फ मैकु का उसके गांव के मृतक अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुंवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से रंजिस थी, इस बार प्रधानी चुनाव दोनो लड़ना चाहते थे, रामचन्द्र उर्फ मैकु को यह डर था की यदि अश्वनी चौहान भी प्रधानी चुनाव लड़ जायेगा तो मै नही जीत पाऊंगा, इसलिये वह अश्वनी को मारना चाहता था। दिनांक 28.03.2025 की रात्रि मे विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश यादव उर्फ शेरा के मुबारकपुर रोड़ स्थित गोल्डेन मैरेज हाल के सामने मकान मे दावत थी, उस दावत में हमलोग तथा हमलोगों के अन्य साथी आये थे, उसी रात मे हसनपट्टी मे एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के यहाँ भी दावत थी तो वहाँ पर रामचन्द्र उर्फ मैकु दावत खिलाने के बहाने अश्वनी चौहान को लेकर आया था। जब अश्वनी चौहान जीयनपुर से दावत खाकर घर के लिये निकल गया, तभी सभीलोग रामचन्द्र उर्फ मैकु द्वारा बतायी गयी योजना के अनुसार डण्डा, पंच, राड लेकर सफेद गमछे से मुंह ढककर निकल गये। जब अश्वनी चौहान नरहन गांव के आगे पहुंचा तो समय करीब 11.15 बजे रात मे रामचन्द्र उर्फ मैकु ने अपनी मोटरसाइकिल से अश्वनी चौहान के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वह वही लड़खड़ा कर गिर गया और सभी लोग अश्वनी चौहान को मारने पीटने लगे, मारते हुए सड़क के बगल झाड़ मे ले गये। हमलोग तब तक उसे मारते रहे, जब तक उसकी मृत्यु नही हो गयी। उसके बाद हम सभी लोग अश्वनी को वही पर छोड़ कर फरार हो गये।

पंजीकृत अभियोगः-

***01.* मु0अ0सं0 144/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़**

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों का विवरणः-

सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद निवासी ग्राम गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ 25000 का इनामिया (दाहिने पैर में)

1. मु0अ0सं0 124/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 307/504/506/395/412 भादवि व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ 25000 का इनामिया (बाये पैर में

1. मु0अ0सं0 124/25 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 660/2023 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(v)a SC/ST Act. थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 351/2019 धारा 323/354/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 694/2022 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 नाजायज तमंचा .315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस फायर शुदा .315 बोर
3. 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर
4. 02 मिस जिन्दा कारतूस .315 बोर
5. 01 अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर की
6. अभियुक्त के पास से नकद कुल 950/- रूपये
7. 01 गमछा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना जीयनपुर	थाना रौनापार	स्वाट टीम
1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह	1. थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल	1. निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी
2. उ0नि0 अजय यादव	2. हे0का0 शिवशंकर प्रसाद	2. उ0नि0 मनीष पाल
3. उ0नि0 जाफर खान	3. का0 मुशर्रफ अली	3. हे0का0 धर्मेंद्र यादव
4. हे0का0 संदीप यादव		4. का0 अवनीश सिंह
5. का0 अवनीश यादव		
6. का0 अवधेश कुशवाहा		
7. का0 श्यामदेव थाना जीयनपुर		